न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 1 /2019 जिला सीकर ।

1 कालूराम पुत्र रामूराम
2. गोपाल पुत्र रामूराम
3. झूथाराम पुत्र रामूराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामूराम
5. श्रवणराम पुत्र रामूराम
6. मालीराम पुत्र जोधारा

समस्त जाति जाट, निवासी खेडी चारणान तहसील खण्डेला, जिला सीकर

अपीलान्टस

बनाम

1. छिगन लाल पुत्र जगदीश
2. विमला पत्नी जगदीश
3. सुमन पुत्री जगदीश
4. फूलाराम पुत्र धन्नाराम
5. बनवारी पुत्र धन्नाराम
6. बाबू लाल पुत्र धन्नाराम
7. राजेन्द्र पुत्र धन्नाराम

समस्त जाति जाट निवासी खेडी चारणान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 24.4.2017

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित–

3. वकील अपीलान्ट श्री रामावतार शर्मा
4. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हर लाल सिंह

निर्णय

दिनांक – 9.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.4.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 2.1.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्रम खेडी चारणवास, पटवार मण्डल जाजोद, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 41, 42, 43, 34, 35 के रकबे में से

प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार खण्डेला , जिला सीकर द्वारा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने आदेश कमांकः राजस्व / 2017 / प.म.–जाजोद / 01 दिनांक 24.4.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व / 16 / 2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में तहसीलदार खण्डेला द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस एवं फर्द मौका रास्ता के अनुसार रास्ता प्रचलित एवं पुराना होने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने एवं आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार खण्डेला को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे ।

हि.।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा
1	जाजोद	खेडी चारणान	34	0.03 हैक्टर
			35	0.0150 हैक्टर
			43	0.03 हैक्टर
			42	0.08 हैक्टर
			41	0.04 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 24.4.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय 24.4.2017 कमांकः राजस्व / 2017 / पं.मं.जाजोद / 01 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 के मध्य उक्त दोनों खातों की आराजियात में शामलाती की खातेदारी है जिसमें मनबंट के आधार पर अपीलान्ट खसरा नम्बर 29, 32, 31, 33, 43, 44, 37, 38, 42, 41 तथा 33 के उत्तरी भाग तथा खसरा नम्बर 30 पर काबिज काश्त है और रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 खसरा नम्बर 44, 45, 35, 34 पर काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट्स ने अपना हित साधते हुये रास्ता खसरा नम्बर 41 से शुरू होकर खसरा नम्बर 35 के मध्य तक ही राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जबकि खसरा नम्बर 36 जो कि शामलाती कुआ है जहॉ तक जाने का भी कोई रास्ता अंकित नहीं करवाया तथा खसरा नम्बर 34/1 जो कि अन्दर से ही खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32 व 33 में जाने का रास्ता है । उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में खसरा नम्बर 34/1 में से ही आ जा सकते हैं और खसरा नम्बर 34/1 जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 मदबंट के आधार पर काबिज काश्त है । उक्त रास्ता कायम होने से अपीलान्ट्स को उनकी उक्त किता 5 भूमि का उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी रेस्पोंडेन्ट्स ने दी थी । उनका कहना था कि जो रास्ता कायम किया गया है वह पटवारी व गिरदावर ने मौके के विपरीत जाकर कायम किया है । अगर रास्ता उक्त किता के खातों का भी रास्ता कायम किया जाता तो अपीलार्थीगण एवं रेस्पोंडेन्ट्स को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स ने साजपूर्वक सरपंच ग्राम पंचायत जाजोद से एक फर्द मौका अपीलार्थीगण की बिना जानकारी व बिना नोटिस के व बिना मौके पर गये तैयार करवाई है जबकि कानूनन फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रत्येक खातेदार काश्तकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है , लेकिन ऐसा नहीं किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स जो कि प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति थे, को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें समय पर नहीं हो सकी और जब जानकारी हुई तो अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस एवं फर्द मौका रास्ता के अनुसार रास्ता प्रचलित एवं पुराना होने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने एवं आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने के कारण तहसीलदार खण्डेला की अभिशंषा कमांकः भू.अ./2016/1474 दिनांक 20.4.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2017 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि प्रचलित रास्ता पुराना है व सार्वजनिक उपयोग में ग्रमीणों के आवागमन के काम आ रहा है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की है जबकि विलम्ब के संबंध में अंकित कारण कपोल कल्पित एवं मनगढन्त व झूठे है । अतः विलम्ब के संबंध में संतोषजनक कारणों के अभाव में विलम्ब को क्षमा किया जाना कानून उचित नहीं है । अतः सर्वप्रथम अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स की शामलाती विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार खण्डेला की अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है । रेस्पोंडेन्ट्स प्रचलित रास्ता पुराना व सार्वजनिक होने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हैं तथा अपीलान्ट्स विवादित भूमि के शामलाती काश्तकार है , जिन्हें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । हम समझते हैं कि ग्रम खेडी चारणान की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के अनुसार अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स विवादित भूमि के शामलाती काश्तकार है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को न तो कोई नोटिस जारी किये गये एवं न ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे

सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है एवं प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित आदेश विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 24.4.2017 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर दिनांक 24.4.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर